राजस्थान आवासन मण्डल

Key Plan

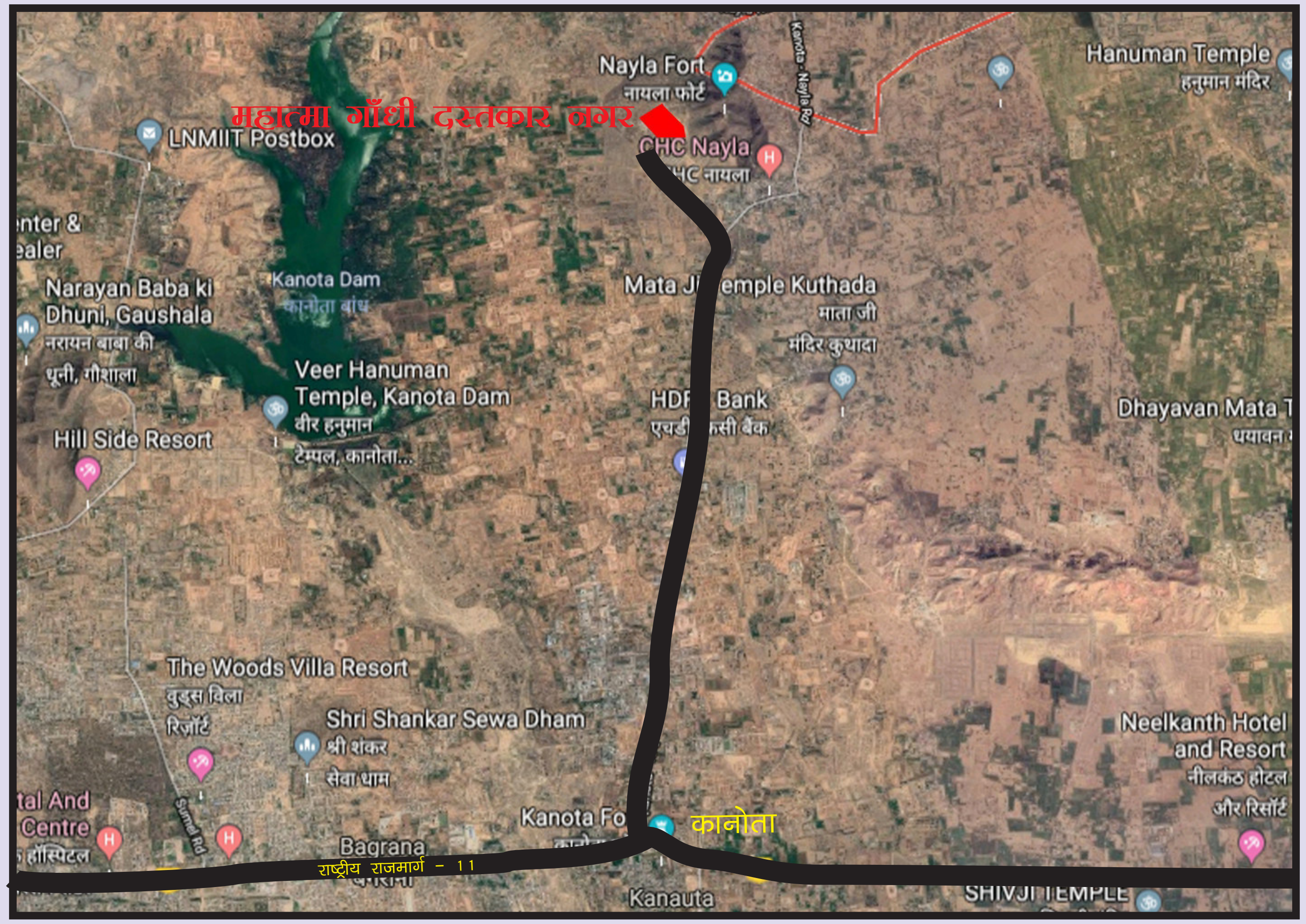

"आवास भवन", जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

Email : info.rhb@rajasthan.gov.in | www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

मूल्य : 354/- रुपये

RH राजस्थान आवासन मण्डल

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

Weekend Home

महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना
नायला, जयपुर

RERA Reg. No. : RAJ/P/2018/722

श्री शांति धारीवाल
माननीय मंत्री, स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान

मात्र 14.99 लाख में मकान

वीकएण्ड होम पंजीकरण योजना - 2020
(सभी आमजन आवेदकों हेतु)

01/09/2020 to 30/09/2020

Ready to Shift Weekend Home with Complete Facilities (Ceiling Fans/LED Lights PVC Water Tanks/Taps/ Water/Electric Connection)

"मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना"

www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

Your own Community Farm House

सुरमय वादियों के बीच आपका अपना घर
जमीन भी आपकी... छत भी आपकी...

Exhibition Area

Food Court

Open Air Theatre

Organic Community Kitchen Garden

Pets Zone

Rain Shower Area

Childrens Play Area

Open Gym

Sports Cycling

This will give you your own farm house feelings

Your own Community Farm House

सुरमय वादियों के बीच आपका अपना घर
जमीन भी आपकी... छत भी आपकी...

Gated Community with security

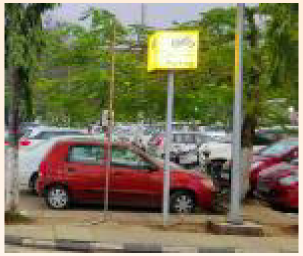
Parking Zone

Beautiful Landscape

On Site Loan Mela

On Spot Purchase

Ready to Shift

24 Hrs Water Supply

LED Street Lights

Healthy Environment

This will give you your own farm house feelings

मूल्य रु0 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना, नायला, जयपुर

वीकएण्ड होम

"पंजीकरण योजना– 2020"

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

कार्यक्रम

1.	ऑन लाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध	:	01.09.2020 से 30.09.2020 तक
2.	ऑन लाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	30.09.2020
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		**अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि		
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान		

सम्पर्क सूत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ,
ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141 – 2741950

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत–तृतीय, जवाहर सर्किल, जयपुर फोन : 0141–2723844	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 04, इन्दिरा गांधीनगर, जयपुर फोन : 0141–2973987

विशेषः

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रु0 300 + 54 (18% GST) कुल रू 354/– पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के मार्फत जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर आईसीआईसीआई बैंक खनिज भवन, उद्योग भवन शाखा, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर के खाता संख्या 777705678203 आई.एफ.एस.सी. कोड ICIC0006786 में किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के खाते में जमा करवा सकते है।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित करलें कि :–

1. आपके द्वारा जिस वर्ग में आवास हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी। आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैः–

i. आय का प्रमाण पत्र।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

iii. संबंधित प्रमाण पत्र।

iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।

v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवास मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिए सामान्य नियम एवं शर्ते

''वीकएण्ड होम पंजीकरण योजना– 2020''

(सभी आवेदकों हेतु)

1. **प्रस्तावनाः**

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 4, 1970 (वर्ष 1970 का एक्ट 4) के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में आवासों की कमी की पूर्ति हेतु गठित राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला में लगभग 15.00 हैक्टेयर भूमि पर 750 आवासों की दस्तकार नगर योजना नियोजित की गई है।

नायला राजस्व ग्राम एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्राम है जिसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री बिल क्लिंटन द्वरा वर्ष 2000 में निरीक्षण किया गया था एवं इस ग्राम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श ग्राम होने का दर्जा प्रदान किया गया।

महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया है।

यह योजना मुख्य जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग–11 के कानोता कस्बे से लगभग 6.5 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना,नायला में आधुनिक सुविधा युक्त डुपलेक्स आवासो का निर्माण किया गया है।

2. **परियोजना स्थल से शहर केप्रमुख स्थानों की दूरीः**

- जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग–11 के कानोता कस्बे से दूरी मात्र 6.50 कि.मी.।
- कानोता रेलवे स्टेशन से दूरी – 11 कि. मी.।
- जयपुर जंक्शन/सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड से दूरी – 25 कि.मी.।
- अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दूरी – 30 कि.मी.।

3. **आवासीय इकाईयों से सम्बन्धित विवरणः**

आवासों की कुल संख्या	भूःखण्ड का माप (फीट)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
525	18.00 x 26.00	811.30	14.99

विशेष नोट :

हाल ही में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इन ईकाईयों में बिजली का कार्य, एल.ई.डी. बल्ब, सीलिंग पंखें, पानी की टंकी, टोंटी, पानी कनेक्शन इत्यादि अतिरिक्त कार्य करवायें गये है। जिनके लिए 40,000/—(चालीस हजार) रूपयें अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

4. **महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना में आधारभूत सुविधाएंः**

- आंतरिक सड़कें
- कॉलोनी में रोशनी की व्यवस्था
- पेयजल व्यवस्था (24 घंटे)
- ड्रेनेज व्यवस्था
- वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर रिसर्कुलेशन व्यवस्था
- सीवरेज व्यवस्था

इस परियोजना के समीप ले—आउट के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है :—

- पार्किंग सुविधा
- ओपन एम्पीथिएटर
- रंगमंच/प्रदर्शनी स्थल
- फूडकोर्ट

5. **महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना में प्रस्तावित सुविधाएंः**

- ऑर्गेनिक किचन गार्डन
- किड्स जोन
- पेट्स जोन

राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है।

2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)

3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों / वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :–

तालिका 2

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी–1	वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी–प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड / निगम के कर्मचारी / प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कचारी) वैतनिक श्रेणी–द्वितीय(राज्य सरकार के कर्मचारी.अधिकारी)	18.00 प्रतिशत 10.00 प्रतिशत
2	जी–2	अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी–प्रथम (G-2-I) – सामान्य अवैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-2-II) – प्रोफेशनल श्रेणी (केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)	29.00 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3	जी–3	राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी–4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5	जी–5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6	जी–6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7	जी–7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8	जी–8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9	जी–9	दिव्यांग (अंधता / शारीरिक / मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10	जी–10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी	01 प्रतिशत
		योग	100.00प्रतिशत

नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र / शपथ–पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2–I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2–I) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान / कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / शारीरिक रुप से दिव्यांग / युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं / भूतपूर्व सैनिक / विधायक / सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार / स्वतंत्रता सैनानी / शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक / ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज / सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :–

तालिका –3

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	अल्प आय वर्ग	300001/– से 600000/– तक	15000.00+12% अर्थात कुल राशि 16800/-	700.00+18% अर्थात कुल राशि 826/-	17626/-

9. आवासों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।

10. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

12. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।

13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 700/– + 18 प्रतिशत देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

15. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका–4 अनुसार हैः–

आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जी.एस.टी. सहित जमा करानी होगी। प्रथम किश्त. पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका –4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त (रूपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	अल्प आय वर्ग	10000	10000	10000	30000

16. आंवटन पत्र अनुसार बकाया राशि 20 वर्षो में 240 सम–मासिक किश्तों के रूप में जमा करवानी होगी। मासिक किश्त की राशि जी.एस.टी. सहित प्रत्येक माह की 15 तारिख तक राजस्थान आवासन मण्डल में जमा करवानी आवश्यक होगी।

17. आवेदकों को **बिन्दु सं. 15** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

19. **लीज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक मय GST की दर से वसूलनीय होगी।

20. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

21. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरुप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

22. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

23. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

24. किराया क्रय पद्धति से आवास आवंटित होने पर तथा आवास का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा

सकता है। इस बाबत् आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन–पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास की एक मुश्त (नगद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित आवास की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरुप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

25. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन–पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

26. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

27. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है, नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।

28. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

30. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छुपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

31. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

32. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

33.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

34. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

35. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति ऑनलाईन संलग्न करना होगा।

36. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

37. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।

38. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

i. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii. लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

v. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर. शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

vii. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।

viii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

ix. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) का राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर अवलोकन किया जा सकता है।

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. R.R. Stone Masonry in Foundations& Plinth.
2. R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
3. Brick masonry in superstructure.
4. Plaster in Cement sand mortar.(1:6)
5. Kota Stone flooring/Marble flooring/ Mat Finished tiles.
6. EZ-7 section/ Angle iron door frames.
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Interior paint and acrylic paint on Exterior walls.
9. POP finish.
10. PVC water tanks, PVC Toilet fittings, Kitchen Sink.
11. Green marble Kitchen table top.
12. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
13. Celling Fans.

आवेदक
का फोटो

सभी आवेदकों हेतु

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु.............
.......वर्ष, जाति.............................. निवासी ....
.एत्दद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
4. यह कि मेरे द्वारा .... स्थित मण्डल की .... योजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मै किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2019–20 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला ....संभाग.............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... जाति .... निवासी .... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:–

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2019–2020 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी :–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....

2. ....

3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए</u>

<u>प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम....................................... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र</u>

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री....... ....निवासी.. .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....
बैंक खाता संख्या ....
आई.एफ.एस.सी.कोड ....

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त तृतीय), जवाहर सर्किल, जयपुर

वीकेण्ड होम पंजीकरण योजना

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	**महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, नायला जयपुर**
2.	योजना का नाम	:	**वीकेण्ड होम पंजीकरण योजना**
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:	....
4.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	: :	....
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

वीकेण्ड होम पंजीकरण योजना

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान अपलोड कर दिया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड की गई है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति अपलोड की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र अपलोड है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी..

क.सहायक/सहायक   कार्यालय अधीक्षक   स.आवासन अधिकारी/ सम्पदा प्रबन्धक

मूल्य : 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त तृतीय),जवाहर सर्किल, जयपुर

वीकेण्ड होम पंजीकरण योजना

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो

आवेदन– पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक ....

1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री/श्रीमती..
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री..
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज...
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार नम्बर)	....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	वैतनिक अवैतनिक
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाष नं. ....मोबाईल नं.. ई–मेल पता..
9	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. में) (वित्तीय वर्ष 2019–20) पैन नम्बर, (लागू हो तो)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
10	यदि आवेदक पूर्व पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे।	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांक :	
11	पंजीकरण राशि रू.	वर्तमान आवंटित आय वर्ग (अल्प आय वर्ग)
12	बैंक खाता सं. आई.एफ.एस.सी. कोड	.... दिनांक...............................रू.......................... ....
13	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी–1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी–प्रथम (G-1-I) (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-1-II) (राज्य सरकार के कर्मचारी/ अधिकारी)	जी–2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी–प्रथम (G-2-I) – सामान्य अवैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-2-II) – प्रोफेशनल (केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)
	जी–3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी–4 : अनुसूचित जाति
	जी–5 : अनुसूचित जन जाति	जी–6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी–8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी–9 : दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	जी–10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी
14	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक ऑनलाईन संलग्न करेगे।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण).................................. खाता संख्या (सम्पूर्ण).. खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):.................................... बैंक शाखा का पता:............................. .... मोबाइल नम्बर.................................	

15	ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र :
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) स्वयं अथवा पति–पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र । (अ) अन्य वाछिंत प्रमापण पत्र / शपथ पत्र।
16	घोषणा :–
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
	2. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उपका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
	3.मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।
	4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।
	5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
	6. फ्लेट का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् फ्लेट में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
	7. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मै निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:–
	क्र.सं. नाम आयु संबंध
	प्रथम
	द्वितीय
	तृतीय

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान...
दिनांक ....

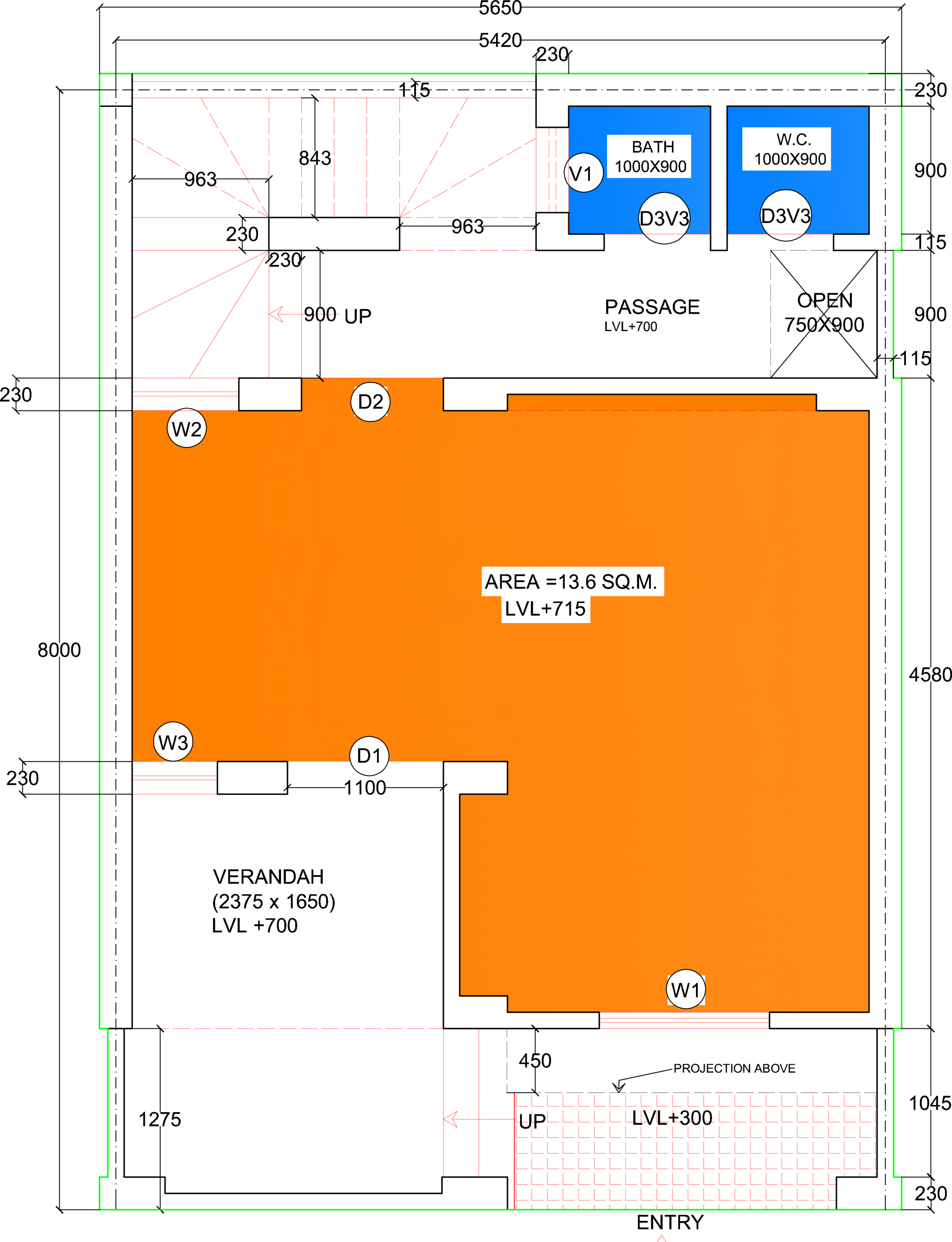

GROUND FLOOR PLAN

BUILT UP AREA : 36.45 SQM OR 392.20 SQFT.

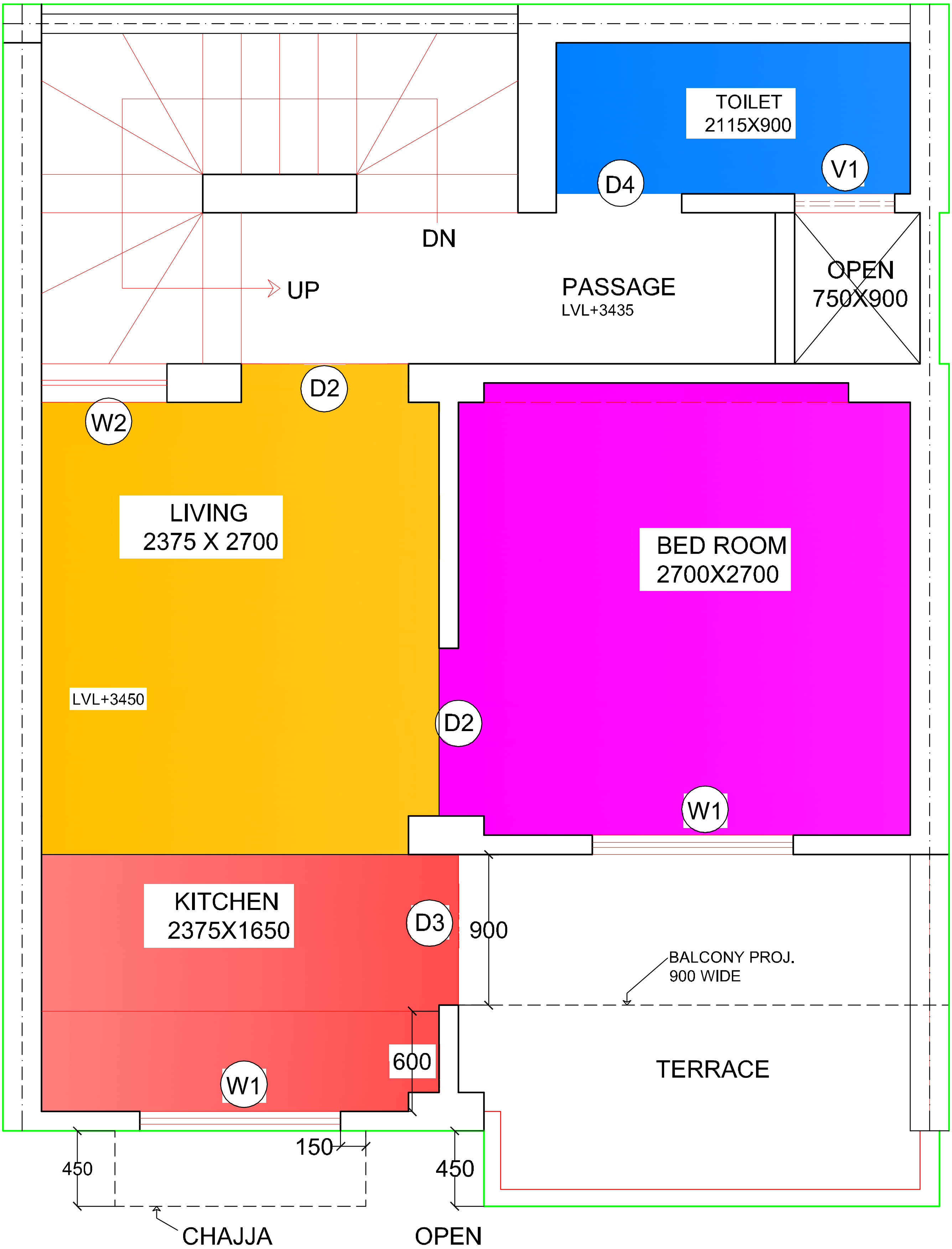

FIRST FLOOR PLAN

BUILT UP AREA : 32.47 SQM OR 349.38 SQFT.
STAIR CASE AREA : 6.48 SQM OR 69.72 SQFT.

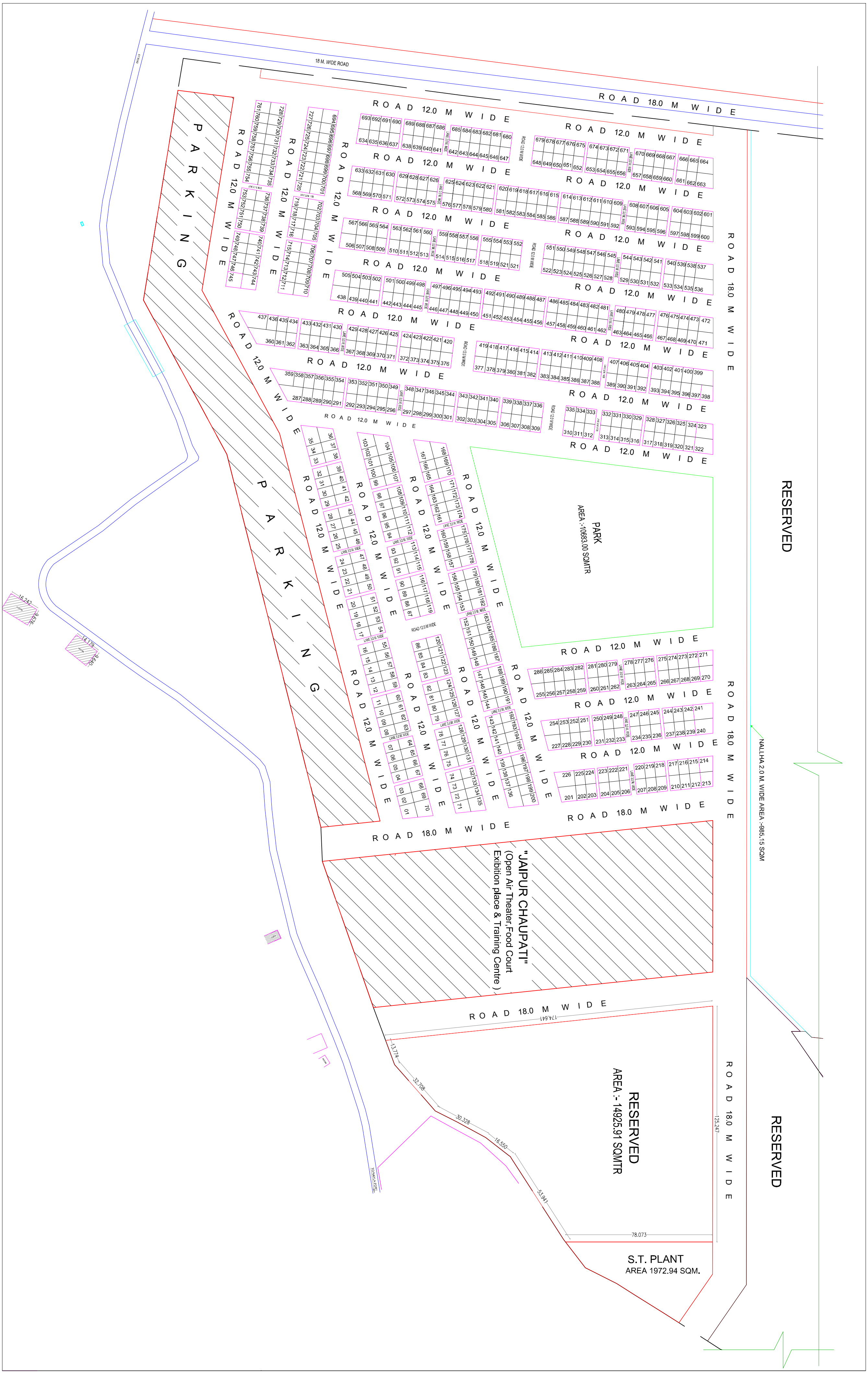
18 M. WIDE ROAD
ROAD 18.0 M WIDE
ROAD 12.0 M WIDE
PARKING
PARKING
PARK
AREA :-10683.00 SQMTR
RESERVED
"JAIPUR CHAUPATI"
(Open Air Theater,Food Court
Exibition place & Training Centre)
RESERVED
AREA :- 14925.91 SQMTR
S.T. PLANT
AREA 1972.94 SQM.
NALLHA 2.0 M. WIDE AREA -985.15 SQM
RESERVED